में जारी हुए।

28/10/25

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीनी व उनके वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र (आवेदन) इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो रजिस्टर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested